वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी प्रक्रिया

स्वामी:	Anna Diaz, Chief Compliance Officer
समीक्षक:	Eva Argilés, General Counsel
अनुमोदनकर्ता:	Board of Directors
दिनांक:	18 दिसम्बर, 2024

संस्करण:	6.0
भाषा:	हिंदी
दायरा:	वैश्विक

विषय-सूची

1. उद्देश्य 4

2. दायरा और प्रयोजनीयता 4

3. मुख्य परिभाषाएं........ 4

4. निषिद्ध या नियंत्रित आचरण........ 6

4.1 रिश्वत और भ्रष्टाचार........ 6
4.2 उपहार और आतिथ्य सत्कार 7
4.3 राजनीतिक चंदे........ 9
4.4 धर्मार्थ दान........ 9
4.5. हितों के टकराव........ 10

5. आपूर्तिकर्ता, अन्य पक्ष, विलय और अधिग्रहण, संयुक्त उपक्रम भागीदार और कंसोर्टियम भागीदार (Uniones Temporales de Empresa)........ 10

5.1 आपूर्तिकर्ता 10
5.2 अन्य पक्ष 11
5.3 विलय और अधिग्रहण........ 11
5.4 संयुक्त उद्यम भागीदार........ 12
5.5 कंसोर्टियम भागीदार (Uniones Temporales de Empresa)........ 12

6. भ्रष्टाचार-विरोधी बचावों के साथ लिखित समझौते 13

7. सटीक बही खाते और रिकॉर्ड........ 13

8. मॉनीटरिंग, संप्रेषण और प्रशिक्षण........ 14

9. प्रश्न और गैर-अनुपालन संबंधी मुद्दे 14

10. इस प्रक्रिया का अतिक्रमण 15

11. संस्करण नियंत्रण 15

12. संबंधित दस्तावेज 16

13. परिशिष्ट 16

1. उद्देश्य

इस प्रक्रिया का उद्देश्य समस्त विश्व में Applus+ के व्यावसायिक कार्यकलापों में भ्रष्टाचार के जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के द्वारा Applus+ भ्रष्टाचार-विरोधी नीति बनाना और Applus+ व्यापार का संचालन करते हुए किन्हीं भ्रष्ट पद्धतियों की पहचान और रोकथाम के लिए Applus+ के पेशेवरों की मदद करना है।

2. दायरा और प्रयोजनीयता

यह प्रक्रिया समस्त विश्व में Applus+ कंपनियों, पेशेवरों और अन्य पक्षों पर लागू होती है। इस प्रकार, सभी Applus+ पेशेवरों और अन्य पक्षों को इस प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए और उनके द्वारा इसका पालन किया जाना चाहिए।

इस प्रक्रिया में वर्णित नियमों और दिशानिर्देशों में किसी भी अपवाद के लिए, CCO का औपचारिक अनुमोदन होना चाहिए।

Applus+ अपने व्यापार व्यवहारों में भ्रष्टाचार की किसी भी किस्म में न तो शामिल होगा और न ही उन्हें अन्यथा सहन करेगा, तब भी जब इस प्रतिबद्धता का पालन Applus+ को एक गैर - प्रतियोगी व्यापार स्थिति में रख सकता हो। Applus+ घूसखोरी या रिश्वत की किसी भी किस्म की पेशकश करने, देने, मांगने या प्राप्त करने को विशेष रूप से निषिद्ध करता है।

Applus+ के लिए Applus+ पेशेवरों और अन्य पक्षों की सुरक्षा एक उच्च प्राथमिकता है। किसी पेशेवर या अन्य पक्ष को आसन्न शारीरिक नुकसान या गैर कानूनी रूप से बंदी बनाने की धमकी दिए जाने की स्थिति में, इस प्रक्रिया में दिए गए नियमों की अपवाद स्वरूप अनदेखी की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रभावित व्यक्ति Applus+ के CCO को तुरंत सूचित करेगा।

इस प्रक्रिया के संबंध में विरोधाभास या प्रश्न उत्पन्न होने की स्थिति में, Applus+ के CCO सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, इस दस्तावेज की व्याख्या करने की जिम्मेदारी ईएसजी समिति के पास रहेगी।

3. मुख्य परिभाषाएं

महत्व की कोई चीज	मौद्रिक मूल्य वाली कोई भी चीज, जैसे नकद, उपहार, मनोरंजन, भोजन, ड्रिंक, जलपान, या अन्य आतिथ्य-सत्कार, यात्रा खर्चों या अवकाशों का

	भुगतान या प्रतिपूर्ति, प्राप्त करने वाले या किसी संबंधित व्यक्ति को रोजगार के प्रस्ताव, कर्ज रद्द करना या अन्य कोई मूर्त या अमूर्त मदें जिनका मौद्रिक मूल्य हो।
Applus+	Applus Services, S.A. और इसकी सभी सहायक और संबद्ध कंपनियां, अन्य व्यापार भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यमों सहित, जहां Applus+ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखता हो।
नकद	भौतिक मुद्रा, वाउचर, बोंड, चैक, कूपन, गिफ्ट कार्ड, या नकद के समान कुछ भी।
CCO	Applus+ Chief Compliance Officer
कंसोर्टियम भागीदार	कोई भी व्यक्ति या कानूनी निकाय जो किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए Applus+ (तथा संभावित रूप से अन्य पक्ष) के साथ अपने संसाधनों को एकजुट कर रहा हो। कंसोर्टियम में हर प्रतिभागी का पृथक कानूनी दर्ज़ा बना रहता है।
ईएसजी समिति	प्रत्यायोजित पर्यावरण, सामाजिक और कॉर्पोट प्रशासन (ईएसजी)
Division EVP	Division Executive Vice President. कॉर्पोरेट स्तर (गैर-डिवीजन विशिष्ट) पर आचरण के संदर्भ में, इस Division EVP की प्रक्रिया में संदर्भों को संगत विभाग के प्रमुखों को संदर्भों के रूप में समझा जाए।
उपहार और आतिथ्य-सत्कार	महत्व की कोई भी चीज जिसके लिए प्राप्तकर्ता द्वारा उचित बाजार मूल्य का भुगतान नहीं किया जाता है, वह कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई कंपनी।
संयुक्त उपक्रम भागीदार	कोई भी व्यक्ति या कानूनी निकाय जिसने संयुक्त रूप से किसी व्यावसायिक निकाय की स्थापना करने और/या उसका स्वामित्व ग्रहण करने तथा उसकी सम्पदाओं के प्रबंधन के लिए Applus+ के साथ अनुबंध कायम किया हो।
पेशेवर व्यक्ति	संविदात्मक संबंध के प्रकार पर ध्यान दिए बिना, Applus+ को सेवाएं प्रदान करने वाले सभी व्यक्ति। इसमें Applus+ के कर्मचारी, फ्रीलांस ठेकेदार, निदेशक, प्रबंधक और अधिकारी तथा वे व्यक्ति शामिल हैं जो Applus+ के साथ निरंतर रूप से कार्य करने के आधार पर (इम्प्लांट्स) अनुबंधित कम्पनियों द्वारा नियुक्त किए गए हों।
सरकारी कर्मचारी अथवा समकक्ष	वे सभी व्यक्ति जो पिछले 12 महीनों में निम्नांकित में से किसी भी पद पर काम कर रहे हों या कर चुके हों: - लोक प्रशासन में किसी भी स्तर पर कोई भी अधिकारी और/या कर्मचारी, चाहे उनकी निर्णय लेने की शक्ति या वरिष्ठता कुछ भी हो; - सार्वजनिक या सार्वजनिक रूप से नियंत्रित किसी उपक्रम के अधिकारी और/या कर्मचारी जिनमें राज्य के स्वामित्व वाली कम्पनियां भी शामिल हैं लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है; - किसी सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय संस्था (जैसे विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र या उनकी विशिष्ट संस्थाएं) के अधिकारी और/या कर्मचारी;

	- किसी सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक या सार्वजनिक रूप से नियंत्रित उपक्रम अथवा सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की ओर से आधिकारिक रूप से कार्य करने वाले प्रतिनिधि या व्यक्ति; या - राजनीतिक दलों के नेता और सार्वजनिक अथवा राजनीतिक पद के प्रत्याशी
संबंधित व्यक्ति	इन्हें निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है: - पेशेवर का जीवनसाथी या सहजीवन साथी - पेशेवर के माता-पिता, बच्चे, भाई-बहन और आश्रित - पेशेवर के जीवनसाथी के परिवार के समान सदस्य
आपूर्तिकर्ता (सप्लायर्स)	Applus+ से बाहर का कोई भी व्यक्ति या संस्था, अन्य पक्षों के अलावा, जो Applus+ को सेवा प्रदान करता/करती हो।
अन्य पक्ष	Applus+ से बाहर का कोई भी व्यक्ति या वैध संस्था **जिसके पास Applus+ की ओर से काम करने और उसे अनुबंधित करने की क्षमता हो,** जैसे कि एजेंट।

4. निषिद्ध या नियंत्रित आचरण

4.1 रिश्वत और भ्रष्टाचार

Applus+ अपने पेशेवरों और अन्य पक्षों को निम्नांकित आचरणों में लिप्त होने से मना करता है:

A. **प्रत्यक्ष रिश्वत एवं भ्रष्टाचार**: अनुचित रूप से व्यापार हासिल करने या बनाए रखने, या किसी भी अन्य अनुचित प्रयोजन या व्यापारिक लाभ के लिए किसी को भी (जिसमें अन्यों के साथ-साथ सरकारी कर्मचारी, Applus+ के प्रतिपक्षों के कर्मचारी, प्रतिनिधि अथवा प्रबंधक शामिल हैं) महत्व की किसी भी चीज का **भुगतान करना, देना, उसकी पेशकश करना या देने का वादा करना**।

B. **सुविधा भुगतान**: **ऐसे कोई भी छोटे भुगतान** (सरकारी करों और शुल्कों से भिन्न) **करना** जो किसी निचले स्तर के सरकारी अधिकारियों को नेमी सरकारी कार्रवाई, जिस पर सरकारी अधिकारी को कोई विवेकाधिकार नहीं है (जैसे परमिट, लाइसेंस, वीजा, कस्टम क्लीयरेंस प्राप्त करना और सामान्य रूप में सरकारी कागज या कार्यालयी दस्तावेज प्राप्त करना या उन पर कार्रवाई करना), को जल्दी करने या निष्पादन पक्का करने के लिए दिए जाते हैं।

C. **अप्रत्यक्ष रिश्वत एवं भ्रष्टाचार**: Applus+ के सेवा प्रावधानों की रूपरेखा के भीतर, कोई भी अनुचित लाभ उत्पन्न करने के उद्देश्य से, महत्व की कोई भी चीज **चाहना, स्वीकार करना या प्राप्त करना**, सिवाय ऐसे उपहारों और आतिथ्य सत्कार के जिनके लिए इस प्रक्रिया में अनुमति है।

D. **गलत तरीके से प्रभावित करना**: Applus+ के लिए कोई कृपा या वरीयतापूर्ण व्यवहार हासिल करने के उद्देश्य से, **किसी सरकारी कर्मचारी या समकक्ष** से अपने व्यक्तिगत सम्बंध का फायदा उठाते हुए उन्हें प्रभावित करना।

ऊपर दिए गए निषेध, किसी भी निषिद्ध आचरण को करने के लिए एजेंटों, संबंधित व्यक्तियों या अन्य लोगों का प्रयोग करके या निजी निधियों या परिसंपत्तियों का प्रयोग करके नाकाम नहीं किए जा सकते हैं।

4.2 उपहार और आतिथ्य सत्कार

Applus+ अपने पेशेवरों और अन्य पक्षों को Applus+ के व्यापार के संदर्भ में उपहार और आतिथ्य-सत्कार देने या लेने से **हतोत्साहित** करता है।
प्रत्येक मामले में, उपहारों या आतिथ्य-सत्कार को, वे चाहे वे दिए गए हों या प्राप्त किए गए हों तो उपरोक्त खंड 4.1 का पालन करना और निम्नलिखित न्यूनतम शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:

- लागू होने वाले स्थानीय कानूनों और उपहार एवं आतिथ्य-सत्कार प्राप्त करने और देने वाले दोनों के आंतरिक नियम-कायदों का पालन करना;
- वे खुले रूप से और पारदर्शी रूप से प्रस्तुत किए जाएं और वे प्राप्त करने वाले की सत्यनिष्ठा और स्वतंत्रता को प्रभावित न करते हों;
- नकद के रूप में न हों;
- भव्य न हों; और
- प्राप्तकर्ता Applus+ के वाणिज्यिक कार्यकलापों में शामिल लोगों के संबंधित व्यक्ति कदापि न हों।

A. Applus+ **पेशेवरों और अन्य पक्षों द्वारा उपहार और आतिथ्य प्राप्त करना**

उपहारों और आतिथ्य की मांग करना पूर्णत: निषिद्ध है। इसी तरह, Applus+ पेशेवर, Applus+ में अपनी स्थिति को अपने लिए या Applus+ की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपहार और आतिथ्य-सत्कार प्राप्त करने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं।

Applus+ पेशेवर और अन्य पक्ष व्यापारिक संबंध के संदर्भ में केवल तब उपहार और आतिथ्य-सत्कार स्वीकार कर सकते हैं जब उन्होंने मांगा न हो और ऐसी स्वीकृति इस प्रक्रिया के किन्हीं प्रावधानों का अतिक्रमण न करती हो।

इसके अलावा, यदि उपहार या आतिथ्य-सत्कार का मूल्य €100 से अधिक हो, तो पेशेवर या अन्य पक्ष जो उसे प्राप्त करता है **उसे** Division EVP **और CCO का लिखित अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए** (ई-मेल पते के माध्यम से Gifts.Hospitality@applus.com) या कॉर्पोरेट टूल ConnectA का उपयोग करके, जिसमें रिपोर्टिंग सुविधा शामिल है। Division EVP और CCO, वास्तविक मामले के अनुसार प्राप्तकर्ता से कह सकते हैं कि वह उपहार या आतिथ्य-सत्कार को अस्वीकार करे या लौटा दे, अथवा यह कि उसे यह Applus+ को उसके चंदे या टॉस के लिए देना होगा।

यदि किसी Applus+ पेशेवर या अन्य पक्ष को बार-बार किसी Applus+ संबंध के संदर्भ में एक ही व्यक्ति या कंपनी से उपहार या आतिथ्य-सत्कार प्राप्त होते हैं, भले ही वे मूल्य में €100 से अधिक न हों, तो भी उन्हें CCO को सूचित करना होगा (ई-मेल पते के माध्यम से Gifts.Hospitality@applus.com)

B. Applus+ **पेशेवरों और अन्य पक्षों द्वारा उपहार और आतिथ्य प्रदान करना**

a) <u>प्राप्तकर्ता सरकारी अधिकारी या समकक्ष है</u>

Applus के पेशेवरों और अन्य पक्षों के लिए किसी **सरकारी कर्मचारी अथवा समकक्ष** को किसी उपहार अथवा आतिथ्य-सत्कार की पेशकश करना या देना पूर्णत: **निषिद्ध** है। केवल CCO किसी सरकारी कर्मचारी या समकक्ष के लिए ऐसे उपहार या आतिथ्य-सत्कार का अनुमोदन कर सकते हैं जब मूल्य उचित हो और नीचे खंड b) में दी गई अपेक्षाएं पूरी होती हों।

b) <u>प्राप्तकर्ता सरकारी अधिकारी या समकक्ष नहीं है</u>

Applus+' पेशेवर और अन्य पक्ष किसी Applus+' व्यापारिक संबंध के संदर्भ में केवल तब उपहार और आतिथ्य-सत्कार दे सकते हैं जब उपहार या आतिथ्य-सत्कार:

(i) प्राप्त करने वाले की आचार संहिता और उपहारों और आतिथ्य-सत्कार पर उसके आंतरिक नियमों का पालन करता हो; और

(ii) उसे लिखित रूप से Division EVP ने **अनुमोदन** दे दिया हो और, उस यदि उपहार या आतिथ्य-सत्कार का मूल्य €300 से अधिक हो, तो अनुरोध करने वाले ने CCO **का** अनुमोदन (ई-मल पते के माध्यम से Gifts.Hospitality@applus.com) या कॉर्पोरेट टूल ConnectA का उपयोग करके, जिसमें रिपोर्टिंग सुविधा शामिल है।

भोजन संबंधी आमंत्रण: भोजन के लिए आमंत्रण, जो कुल मिलाकर €300 की राशि से अधिक नहीं होते, उन्हें Division EVP द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी बशर्ते कि प्रति अतिथि खर्च की गई राशि €100 से कम हो।

यदि कोई Applus+' पेशेवर या अन्य पक्ष बार-बार किसी Applus+' संबंध के संदर्भ में एक ही व्यक्ति या कंपनी को उपहार या आतिथ्य-सत्कार प्रदान करते हैं, भले ही वे मूल्य में €300 से अधिक न हों, तो भी CCO को सूचित करना होगा (ई-मेल पते के माध्यम से Gifts.Hospitality@applus.com)।

उपहार और मेहमान नवाज़ी के लिए प्रतिपूर्ति आवेदन हमेशा आवश्यक लिखित स्वीकृति/से समर्थित होनी चाहिए और खर्च दावा नीति के अनुसार मान्य चालानों के साथ।

4.3 राजनीतिक चंदे

Applus+' पेशेवरों और अन्य पक्षों द्वारा Applus+ की ओर से दुनिया भर में कहीं भी राजनीतिक दलों, पार्टी कर्मचारियों और/अथवा उम्मीदवारों को चंदे देना पूर्णत: निषिद्ध है।

4.4 धर्मार्थ दान

अन्य पक्षों के लिए Applus+ की ओर से चंदे या दान देने की मनाही है।
Applus+' पेशेवरों द्वारा Applus+ की ओर से कोई भी धर्मार्थ दान (किसी भी रूप में, जैसे नकद या परिसंपत्तियों के रूप में दान, या प्रायोजन) नहीं दिया जाएगा या पेशकश नहीं की जाएगी, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भविष्य में व्यापार को प्राप्त करने के लिए हो या अन्यथा व्यापार को प्राप्त करने या बनाए रखने के लिए हो, कोई अनुचित लाभ पक्का करने के लिए हो, या किसी को अनुचित रूप से काम करने हेतु प्रेरित करने की भावना से दिया जाए।

किसी भी धर्मार्थ दान या चंदे के अनुमोदन में इस **अनुमोदन प्रक्रिया** का पालन किया जाएगा:

1) दान के लिए अनुरोध करने वाला पेशेवर Division EVP को सभी आवश्यक सूचना (प्रस्तावित राशि का औचित्य, योगदान का स्वरूप और प्राप्तकर्ता, तथा वह व्यक्ति या कंपनी जिसने योगदान के लिए सुझाव दिया या अनुरोध किया) उपलब्ध कराएगा
2) Division EVP दान का पूर्व-अनुमोदन कर सकता है; और
3) यदि Division EVP ने दान को अनुमोदित कर दिया है, तो उसके बाद अनुरोधकर्ता CCO से, ई-मेल पते के माध्यम से Gifts.Hospitality@applus.com या कॉर्पोरेट टूल ConnectA का उपयोग करके, जिसमें रिपोर्टिंग सुविधा शामिल है। CCO यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सूचना मांग सकते हैं कि प्रस्तावित धर्माथ संगठन वास्तविक है और लागू कानून का पालन करता है।

दान का कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया जाएगा यदि किसी भी व्यापार प्रोजेक्ट को किसी भी तरह से दान की शर्त से जोड़ा जाता है या दान किसी एक व्यक्ति को दिया जा रहा हो।

किसी भी स्थिति में, सभी धर्मार्थ योगदानों का CCO द्वारा सटीक रिकॉर्ड रखा जाए और उनके साथ वैध इन्वॉयस और अनुमोदन लगाए जाएं।

4.5. हितों के टकराव

अपना पेशेवर कर्तव्य निभाने के दौरान, Applus+' पेशेवरों को समय-समय पर ऐसे अवसरों का सामना करना पड़ सकता है जबकि उनके व्यक्तिगत हितों और समूह (ग्रुप) के हितों में टकराव की संभावना हो सकती है। ऐसी स्थिति Applus+ के प्रति उनकी निष्ठा झलकाने और समूह के सर्वोत्तम हित में कार्य करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि Applus+' पेशेवर Applus+ **के हितों के टकराव सम्बंधी वैश्विक नीति** का अनुपालन करें जिससे उन्हें उन परिस्थितियों को पहचानने में मदद मिलेगी जिनमें उनके व्यक्तिगत हित Applus+ की भूमिका निभाते हुए उनके निर्णय को प्रभावित करते हैं (या कर सकते हैं) और जहां, जरूरी होने पर, वे समुचित रूप से उन स्थितियों को संभाल सकते हैं।

5. आपूर्तिकर्ता, अन्य पक्ष, विलय और अधिग्रहण, संयुक्त उपक्रम भागीदार और कंसोर्टियम भागीदार (*Uniones Temporales de Empresa*)

5.1 आपूर्तिकर्ता

Applus+ आपूर्तिकर्ता नीति के अनुसार, पात्रता हासिल करने के लिए रणनीतिक एवं सामान्य आपूर्तिकर्ताओं और साथ ही कॉन्ट्रैक्टरों को (जैसाकि इन शब्दों को 'आपूर्तिकर्ता नीति' के तहत परिभाषित किया गया है) Applus+ आचार-संहिता एवं भ्रष्टाचार-विरोधी नीति के अनुपालन सम्बंधी एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा; एक बैंक स्वामित्व प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा तथा रणनीतिक एवं सामान्य आपूर्तिकर्ताओं के संदर्भ में, वे अपनी गैर-सरकारी आधिकारिक स्थिति तथा राजनीतिक दलों के साथ कोई सम्बंध न होने के बारे में भी पुष्टि देंगे। इन उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले फॉर्म परिशिष्ट 1.1 और 1.2 के रूप में आपूर्तिकर्ता नीति के साथ संलग्न हैं।

5.2 अन्य पक्ष

Applus+ के साथ काम कर रहे अन्य पक्षों का कोई अनुचित आचरण Applus+ के लिए जोखिम पैदा करता है। इस प्रकार, Applus+ केवल प्रतिष्ठा वाले और ईमानदार अन्य पक्षों के साथ काम करता है और उनसे अपेक्षा करता है कि वे Applus+' आचार संहिता, Applus+ वैश्विक भ्रष्टाचार-विरोधी नीति और इस प्रक्रिया का पालन करें।

किसी अन्य पक्ष के साथ व्यापारिक संबंध शुरू करने से पहले, नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए परिशिष्ट 2 में दी गई सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा संबंधी परीक्षा को पूरा करना जरूरी है:

1. प्रासंगिक business unit director (तृतीय पक्षो के साथ संबंधों के लिए जिम्मेदार Applus+ के पेशेवर) अन्य पक्ष को Applus+' आचार संहिता, भ्रष्टाचार-विरोधी नीति और इस प्रक्रिया की एक प्रति उपलब्ध कराएगा, और सुनिश्चित करेगा कि अन्य पक्ष (i) अनुपालन प्रमाणन पर हस्ताक्षर करे (उस फॉर्म में जो परिशिष्ट 1 में दिया गया है) जब तक कि वह प्रमाणन पहले ही उस अनुबंध में शामिल न किया जा चुका हो जो अन्य पक्ष ने Applus+ के साथ किया है, और (ii) भाग 1 परिशिष्ट 2 को पूरा करे (अन्य पक्षों के लिए आत्म-परीक्षा)।
2. प्राप्त की गई सूचना तथा किसी भी अन्य उपलब्ध सूचना के संदर्भ में, business unit director **(तृतीय पक्षो के साथ संबंधों के लिए जिम्मेदार Applus+ के पेशेवर)** भाग 2 परिशिष्ट 2 को पूरा करेगा (Business Unit Director की रिपोर्ट) और उसे समीक्षा एवं अनुमोदन के लिए Division EVP को प्रस्तुत करेगा।

3. **Division EVP** के लिए जरूरी है कि उसके बाद वह business unit director द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की **समीक्षा** करे तथा जांच करे कि सभी स्थान भर लिए गए हैं। यदि दी गई सूचना Division EVP के अनुमोदन को पूरा करती है, तो वह हस्ताक्षरित दस्तावेजों को CCO को प्रस्तुत करेगा।

यह जांच करने के लिए कि उपलब्ध करायी गई सूचना झूठी नहीं है और निरंतर मॉनीटर करने और जांच करने के लिए कि अन्य पक्ष के संबंध में इकट्ठा किया गया कोई भी डेटा बदला तो नहीं है, CCO अन्य पक्ष से प्राप्त की गई सूचना को प्रतिष्ठा संबंधी डेटाबेस प्रणाली में अपलोड करेगा। CCO (और ईएसजी समिति, यदि CCO आवश्यक समझे) अन्य पक्ष को नियुक्त करने के लिए EVP द्वारा भेजे गए अनुरोध का **विश्लेषण** करेगा और नकारात्मक या सकारात्मक **सिफारिश** करेगा।

केवल तभी जब CCO की सिफारिश सकारात्मक होगी, अनुरोध किए जाने पर उक्त अन्य पक्ष के साथ अनुबंध को कॉर्पोरेट GRC साधन https://grc.applus.com/grcapplus (अनुबंधों का मॉड्यूल) के माध्यम से अनुमोदित किया जाएगा -जैसा लागू होगा- जो कि स्थानीय जनरल मैनेजर/रीजनल/CFO/लीगल फंक्शन द्वारा तथा उसके बाद, प्रत्येक स्थिति में जैसा उचित हो, समुचित क्षेत्रों या पेशेवरों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

5.3 विलय और अधिग्रहण

Applus+ अधिग्रहीत या विलयीत कंपनियों के जारी कार्यकलापों या पिछले आचरण के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है। इसीलिए, लक्ष्य कंपनी की उचित छानबीन प्रक्रिया के भाग के रूप में, Applus+ उसके प्रतिष्ठा और किन्हीं संभावित भ्रष्टाचार

-संबंधी जोखिमों का आकलन करता है, जैसा कि परिशिष्ट 3 (विलयनों एवं अधिग्रहणों के लिए उचित छानबीन प्रक्रिया) में बताया गया है।

5.4 संयुक्त उद्यम भागीदार

हालांकि संयुक्त उद्यम भागीदार Applus+ की ओर से काम करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं, लेकिन उक्त भागीदारों में से किसी एक का कोई अनुचित या गैर कानूनी आचरण Applus+' की प्रतिष्ठा के लिए महत्वपूर्ण खतरा बन सकता है। इस प्रकार, जब किसी नए भागीदार के साथ किसी संयुक्त उद्यम के बारे में विचार किया जाता है, तो भाग 5.2 में दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

5.5 कंसोर्टियम भागीदार (*Uniones Temporales de Empresa*)

अनुचित अथवा गैर-कानूनी आचरणों को प्रणालीबद्ध करने के लिए, कंसोर्टियम संरचनाओं का प्रयोग किया जा सकता है, कंसोर्टियम में सभी भागीदारों की जानकारी के साथ या बिना। इस तरह, संयुक्त उपक्रमों की तरह ही, कंसोर्टियम में दाखिल होने वाला भागीदार (पार्टनर) कंसोर्टियम के साथ अपनी प्रतिष्ठा भी जोड़ेगा। अतः, किसी भी संभावित कंसोर्टियम भागीदार के साथ सहयोग आरंभ करने से पहले निम्नांकित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

A. जब Applus+ कंसोर्टियम का प्रबंधक भागीदार हो

जब, अन्य भागीदारों से परामर्श के अधीन, Applus+ को कंसोर्टियम के प्रबंधक भागीदार होने का दायित्व सौंपा जाएगा तो वह कंसोर्टियम के रोजमर्रा के कार्यकलापों को नियंत्रित करेगा और कंसोर्टियम भागीदार के संदर्भ में निम्नांकित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

1. Applus+ के साथ अपने सम्बंध की शुरुआत में ही, कंसोर्टियम भागीदार के लिए Applus+' आचार-संहिता और इस प्रक्रिया की एक प्रति प्राप्त कर लेना जरूरी होगा। इसी तरह, वे (a) एक स्वतंत्र दस्तावेज़ के रूप में अथवा (b) Applus+ के साथ अपने अनुबंध के अभिन्न अंग के रूप में, परिशिष्ट 1 के रूप में संलग्न फॉर्म में अनुपालन प्रमाणपत्र की एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएंगे।

2. कंसोर्टियम भागीदार के साथ सम्बंध के लिए जिम्मेदार बिज़नेस यूनिट का पेशेवर संपादित अनुपालन प्रमाणपत्र अथवा कंसोर्टियम भागीदार के साथ अनुबंध की एक प्रतिलिपि रिकॉर्ड के लिए CCO के पास भेजेगा।

अनुपालन प्रमाणपत्र अथवा अनुबंध प्राप्त करने के बाद, CCO को यदि अनुपालन सम्बंधी कोई जोखिम प्रतीत होता हो तो वह अतिरिक्त जानकारी के लिए निवेदन कर सकता है। जबतक अनुपालन प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर दिया जाता तबतक किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा या सम्बन्ध शुरू नहीं होगा।

B. जब Applus+ का कंसोर्टियम पर कोई प्रभावी नियंत्रण न हो

भले ही Applus+ का कंसोर्टियम पर कोई प्रभावी नियंत्रण न हो तो भी Applus+ कंसोर्टियम के अन्य भागीदार/रों द्वारा कंसोर्टियम के नाम से या उसकी ओर से किए जाने वाले कार्यों के लिए जवाबदेह हो सकता है।

1. बिज़नेस यूनिट का निदेशक (तृतीय पक्षो के साथ संबंधों के लिए जिम्मेदार Applus+ के पेशेवर) यह सत्यापित करेगा कि कंसोर्टियम भागीदार पूर्व-अनुमोदित कंसोर्टियम-भागीदार सूची में शामिल है या नहीं। यह सूची Applus+' ग्लोबल इंट्रानेट पर आचार एवं अनुपालन साइट के भ्रष्टाचार-विरोधी खंड में उपलब्ध है।

2. यदि कंसोर्टियम भागीदार पूर्व-अनुमोदित कंसोर्टियम-भागीदार सूची में शामिल है तो उपरोक्त खंड 5.5. A) में निरूपित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

3. यदि कंसोर्टियम भागीदार पूर्व-अनुमोदित कंसोर्टियम-भागीदार सूची में शामिल नहीं है तो खंड 5.2 (अन्य पक्षों के लिए) में निरूपित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

6. भ्रष्टाचार-विरोधी बचावों के साथ लिखित समझौते

वे संविदाएं, जिनमें Applus+ एक पक्ष है, उनमें पर्याप्त भ्रष्टाचार-विरोधी खंड शामिल होने चाहिएं। विशेष रूप से, रोजगार अनुबन्धों, अन्य पक्षों के साथ अनुबंधों, संयुक्त उद्यम तथा कंसोर्टियम समझौतों और M&A सौदों से संबंधित समझौतों में, **भ्रष्टाचार-विरोधी प्रावधान** शामिल होने चाहिएं। संबंधित अनुबन्धों में प्रयोग किए जाने वाले खंड परिशिष्ट 4 के रूप में संलग्न हैं। उक्त भ्रष्टाचार-विरोधी प्रावधानों से संबंधित संदेहों या सहायता की आवश्यकता की स्थिति में Applus+' का ग्रुप कॉर्पोरेट लीगल डिपार्टमेंट उपलब्ध है।

7. सटीक बही खाते और रिकॉर्ड

परिशिष्ट 5 के अनुसार, Applus+ और Applus+ के पेशेवर पूर्ण और सही बही-खाते, रिकॉर्ड और लेखे उचित विस्तार में बनाएंगे और बनाए रखेंगे ताकि उन लेन-देनों को प्रदर्शित किया जा सके जिनमें Applus+ शामिल है। सभी व्यापार-संबंधी खर्चों और प्रतिपूर्तियों का लेखा-जोखा Applus+ की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार रखा जाना चाहिए।

8. मॉनीटरिंग, संप्रेषण और प्रशिक्षण

CCO के नेतृत्व के तहत **Division EVP** Applus+' के पेशेवरों और अन्य पक्षों द्वारा संगत डिविजन में इस प्रक्रिया के अनुपालन की मॉनीटरिंग के लिए जिम्मेदार हैं।

Applus+ के निदेशकों, अधिकारियों और प्रबंधकों से अपेक्षा है कि वे CCO के सहयोग से अपने पर्यवेक्षण के अधीन पेशेवरों और अन्य पक्षों के बीच इस प्रक्रिया के अनुपालन के संबंध में जागरूकता पैदा करें और सख्त अनुपालन को बढ़ावा दें और अपने प्राधिकार के तहत काम करने वाले लोगों द्वारा प्रक्रिया के अनुपालन के पर्यवेक्षण के लिए पर्याप्त उपाय करें।

Applus+ के साथ पेशेवर संबंध की शुरूआत में, प्रत्येक पेशेवर अपने परिचय के भाग के रूप में इस प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त, सभी पेशेवर आचरण संहिता और इस प्रक्रिया पर ऑनलाइन सालाना प्रशिक्षण के साथ-साथ Applus+ द्वारा अपेक्षित सभी अन्य प्रशिक्षणों में भाग लेंगे। CCO द्वारा डिजाइन की गई प्रशिक्षण योजना में निर्धारित किया जाएगा कि किन मामलों में प्रशिक्षण को सुदृढ़ किया जाएगा और किन मामलों में प्रशिक्षण आवश्यक नहीं होगा।

9. प्रश्न और गैर-अनुपालन संबंधी मुद्दे

Applus+ में भ्रष्टाचार-विरोधी अनुपालन के संबंध में अतिरिक्त संसाधन, Applus+' ग्लोबल इंट्रानेट पर https://portal.applus.com/ethicscompliance/Pages/default.aspx में देखे जा सकते हैं।

इसके अलावा, कोई भी Applus+' पेशेवर, अन्य पक्ष या प्रतिपक्ष, आपूर्तिकर्ता, संयुक्त उपक्रम भागीदार और कंसोर्टियम भागीदार इस प्रक्रिया के संबंध में कोई भी प्रश्न या संदेह Applus+' आचार संहिता एवं अनुपालन संचार माध्यम के माध्यम से CCO के समक्ष उठा सकते हैं।

सभी Applus+' पेशेवर तथा अन्य पक्ष, संयुक्त उपक्रम भागीदार और कंसोर्टियम भागीदार इस प्रक्रिया में निर्धारित किए गए नियमों के उल्लंघन के बारे में किसी भी तर्कसंगत संकेत या संदेह की रिपोर्ट Applus+ आचार संहिता एवं अनुपालन संचार माध्यम के माध्यम से करेंगे।

Applus+' आचार संहिता एवं अनुपालन संचार माध्यम को सूचना देने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भरा जा सकता है जो कि Applus+' ग्लोबल इंट्रानेट और Applus+' की वेबसाइट (http://www.applus.com/en/aboutUs/ethicsAndCompliance/communication-channel) के आचार संहिता एवं अनुपालन संचार माध्यम खंड में उपलब्ध है।

10. इस प्रक्रिया का अतिक्रमण

इस प्रक्रिया और/या लागू भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों का पालन करने में असफल रहना, Applus+, Applus+' के पेशेवरों, अन्य पक्षों, संयुक्त उपक्रम भागीदारों और कंसोर्टियम भागीदारों के लिए गंभीर आपराधिक और सिविल दंडों को आवश्यक बना सकता है।

सभी Applus+ ग्रुप कर्मचारी इस प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस प्रक्रिया का अनुपालन न कर पाने का परिणाम उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में होगा, जिसमें परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, रोजगार समाप्त भी किया जा सकता है। अन्य पक्ष, संयुक्त उपक्रम भागीदार और कंसोर्टियम भागीदार जो कानून या इस प्रक्रिया का उल्लंघन करते हैं वे Applus+ द्वारा व्यापारिक संबंध के कानूनसम्मत समापन के अध्यधीन होंगे, और उन्हें इस समापन की वजह से किसी भी क्षतिपूर्ति अथवा किसी अन्य उपचार का कोई अधिकार नहीं होगा।

कॉर्पोरेट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट द्वारा आवधिक कार्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट कार्य करके अनुपालन को मॉनीटर किया जाएगा। यह निर्णयकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे दस्तावेज और प्रमाण रखे जो आश्वासन देते हों कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान इस प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट किए गए दिशानिर्देशों का उचित प्रकार से पालन किया गया था।

इसी तरह, ऐसी परिस्थिति में जबकि Applus+ को किसी भी Applus+ ग्रुप के कर्मचारी द्वारा इस प्रक्रिया के उल्लंघन का तर्कपूर्ण संदेह होगा या संकेत मिलेगा जो कि इस तरह की पहुंच और अवलोकन को औचित्यपूर्ण ठहराते हों तो सूचना-प्रौद्योगिकी और कम्पनी के सम्बंधित संसाधनों का Applus+ के कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किए जाने सम्बंधी नीति में निरूपित शर्तों के तहत Applus+ को उनमें निहित सूचना (ईमेल कार्यकलाप सहित) और सूचना-प्रौद्योगिकी सुविधाओं तक पहुंच हासिल करने और उनका अवलोकन करने का अधिकार प्राप्त होगा।

11. संस्करण नियंत्रण

संस्करण 1	2013 दस्तावेज सृजन
संस्करण 2	स्पेनिश पीनल कोड, यूके एन्टी ब्राइबरी एंड FCPA का 2016 अनुकूलन
संस्करण 3	2018 अनुपालन मॉडल उपयुक्तता
संस्करण 4	2019 आपूर्तिकर्ता एवं हितों के टकराव सम्बंधी नीति का समावेश, कंसोर्टियम भागीदार तथा परिशिष्ट 1 एवं 2 में परिवर्तन
संस्करण 5	2022 ईएसजी समिति के नाम का अद्यतन, आपूर्तिकर्ता नीति के वर्तमान संस्करण के लिए पर्याप्तता, और मामूली समायोजन
संस्करण 6	2024 अपडेट में ConnectA का स्थानांतरण शामिल करें (उपहार और आतिथ्य रिपोर्टिंग के लिए नया कॉर्पोरेट उपकरण)।

12. संबंधित दस्तावेज

- वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी नीति वक्तव्य
- हित के टकराव सम्बंधी वैश्विक नीति
- IT संसाधनों के उपयोग पर समूह की नीति
- वैश्विक आपूर्तिकर्ता नीति

13. परिशिष्ट

- परिशिष्ट 1. - सामान्य अनुपालन प्रमाणन
- परिशिष्ट 2. - अन्य पक्ष सत्यनिष्ठा एवं प्रतिष्ठा संबंधी परीक्षा
- परिशिष्ट 3. - उचित छानबीन संबंधी दिशानिर्देश
- परिशिष्ट 4. - अनुबन्ध के प्रावधान
- परिशिष्ट 5. - आंतरिक नियंत्रण और बही खाते तथा रिकार्डकीपिंग दिशानिर्देश